(110)

भारतीय डाक
India Post

RLAD SAGAR COLLECTORATE
A RI511237620
Counter [illegible]1.OP-Code:03
To:TEKSINGH.BATIAGARH
Batiagarh S.O. [illegible]470673
From:N R M . SAGAR M.P.
Wt:5grams.
Amt:25.00 .24/02/2016 .15:12
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

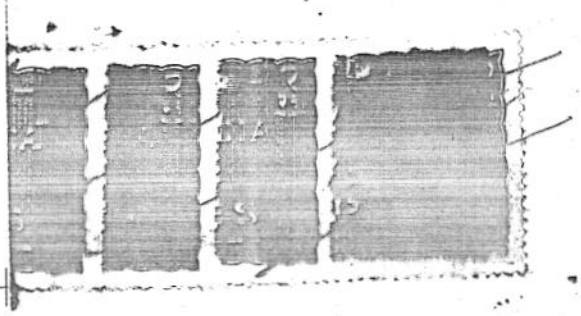

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

1- रतनसींग बल्द भुजबलसींग लोधी,
साकिन-धोराज, तहसील-बटियागढ़, जिला-दमोह,

2- कलाबाई पुत्री भुजबलसींग लोधी,
साकिन-बिलथरा, तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला-दमोह,

.... आवेदकगण

R-2030-I/2001

श्री सुरेन्द्र कुमार भट्ट
अभि. द्वारा यह निगरानी
आज दिनांक 17-10-2001
कैम्प सागर
पर प्रस्तुत की गई।
17-10-2001

|| विरुद्ध ||

टेकसींग बल्द भुजबल लोधी,
साकिन धोराज, तहसील-बटियागढ़, जिला-दमोह,
.... अनावेदक

रा० पुन.क्र. /2001

पुनरीक्षण तरफ से आवेदकगण अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता 1959:

आवेदकगण यह पुनरीक्षण आदेश दिनांक 19.7.2001 पारित द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 521/अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 19.7.2001 के विरुद्ध अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 0 पारित आदेश दिनांक 19.7.2001 गैर कानूनी, अनुचित, एवं निराधार होने से सव्यय निरस्तनीय है ।

2- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम धोराज में स्थित भूमि खसरा नं. 164 एवं 245 रकवा क्रमशः 0.30 एवं 0.86 कुल रकवा 1.16 हेक्ट. अपिलार्थी के नाम से नामान्तरण हो चुका है । उक्त भूमि म्मा० प्यारी बह एवं [illegible]सिंह के नाम

17-10-2001

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2030–एक/2001 जिला दमोह

रतनसिंह आदि विरूद्ध टैकसींग

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–3–2019	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 521/अ–6/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 19–7–2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ इस प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष मौखिक वसीयत के आधार नामांतरण आदेश पारित किया गया है। प्रत्यावर्तित आदेश के पश्चात फिर से अनावेदक टेकसींग के पक्ष में मौखिक वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध पाकर नामांतरण आदेश पारित किया है। पटवारी प्रतिवेदन एवं वसीयत की गई भूमि पर निर्विवादित कब्जे एवं वसीयत के साक्षी श्री केशरीसिंह एवं माधोसिंह से सिद्ध पाते हुये विचारण न्ययालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण नियमों का पालन कर पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा उचित पाया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग का आदेश दिनांक 19–7–2001 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) 15/3/18 सदस्य	